

न्यायालय श्रीमान् प्रमुख नियंत्रण अधिकारी महोदय पंजीयक एवं मुद्रांक  
राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक-



R 590-III/08

श्री 26/05/08 को प्रस्तुत।  
द्वारा आज दि. 26/05/08  
श्री देवेन्द्र सिंह तनय श्री देवेन्द्र सिंह साकिन पूरवांग वार्ड क्रमांक 20  
राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र० -  
- निगराकार

बनाम

1. शासन म०प्र० द्वारा जिला पंजीयक आफ स्टांम्प कलेक्टर सतना कलेक्टर भवन धवारी जिला सतना म०प्र०
2. पुष्पेन्द्र सिंह परिहार एडवोकेट जिला कचेहरी परिषद सतना जिला सतना म०प्र० - गैरनिगराकारण

निगरानी अन्तर्गत धारा 56448 स्टांम्प अधि  
1889 वि० आदेश जिला पंजीयक आफ स्टांम्प  
कलेक्टर सतना के राजस्व प्रकरण क्रमांक-6वी 103/  
08 में पारित आदेश दिनांक 27.02.08

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :-

संक्षिप्त तथ्य

01- यह कि निगराकार द्वारा मौजा कैमा उन्मूलन की आराजी नम्बर 175, 176, 168 एवं 167, 163, 162, 122/2, 161/2क, 165, 166, कुल किता 10 कुल रकवा 16.89 एकड़ जरिये अनुबंध पत्र भूमिस्वामी प्रेमशंकर एवं नीरज सावरी तथा आनन्द शंकर वैजल से क्रमशः दिनांक 18.5.01 एवं 30.5.01 को किया जाकर उक्त आराजियाती को क्रय करने का सौदा किया गया था जिसका पालन भूमिस्वामियों द्वारा नहीं किया गया वरिष्ठ गलत रूप से गैरनिगराकार क्र० 2 से शिकायत पंजीयक आफ कलेक्टर महोदय के समक्ष कराई गई जिसके आधार पर निगराकार को नोटिस दी जाकर उक्त वस्तुवेजो में मुद्रांक अधिरोपित किये जाने का विधिवत जवाब दिये

B. P. Pathak  
Advocate  
3ATNA (M.P.)

B. P. Pathak  
Advocate  
3ATNA (M.P.)

M

26/05/08

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 590-~~III~~/08

जिला -सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.2016	<p>आवेदक के अधिवक्ता कई पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं उनको समय समय पर आवाज लगवाई गई उसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं। अतः आवेदक के अनुपस्थित नहीं होने के कारण तथा प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है ।</p> <p>सदर</p>	